विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धन, शारीरिक एंव व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एंव योग्यता एंव [illegible] नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस० स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्त या बन्धेजो का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एंव अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या [illegible] ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजो को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एंव अकादमीय अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जांचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों का उलंघन मानते हुए अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।
कृ०पृ०उ०

Principal
Krishna Sudarshan Central School, CCL
Khas mahal, Sunday Bazar, Bermo
Distt.- Bokaro (Jharkhand)

(50)

P-50

पत्रांक 910

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बोकारो ।

सेवा में,

उप निदेशक (मा० शि०)
झारखण्ड, राँची ।

बोकारो, दिनांक–

विषय:– कृष्णा सुदर्शन सेण्ट्रल स्कूल, खाशमहल, सी०सी०एल०, बेरमो को सी०बी०एस०ई० से 10+2 तक का सम्बद्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

प्रसंग:– भवदीय पत्रांक 2903 दिनांक 24.5.02

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कृष्णा सुदर्शन सेण्ट्रल स्कूल, खाशमहल, सी०सी०एल०, बेरमो का सी०बी०एस०ई० से 10+2 तक का सम्बद्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विभागीय पत्रांक 1668 दिनांक 4.12.2001 के आलोक में दिनांक 25.9.03 को स्थलीय निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर इसके साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही हैं । इस विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है ।

अनु० :– यथोक्त ।

5/10/03

विश्वासभाजन,

ह०/–

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बोकारो ।

ज्ञापांक 910 / बोकारो, दिनांक– 30.9.03

प्रतिलिपि:– प्राचार्य, कृष्णा सुदर्शन सेण्ट्रल स्कूल, खाशमहल, सी०सी०एल०, बेरमो को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बोकारो ।

Principal
Krishna Sudarshan Central School, C...
Khas mahal, Sanjay Bazar, Berm...
Dist - Bokaro (Jharkhand)

ज्ञापांक 1617 / रांची, दिनांक -12.7.04

प्रतिलिपि, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, हजारीबाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो एंव संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक 1617 / रांची, दिनांक -12.7.04

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।
12/7/04

07.05.18

Principal
Krishna Sudarshan Central School, CCL
Khas mahal, Sunday Bazar, Bermo
Distt.- Bokaro (Jharkhand)

Annex — 5

(47)

पत्रांक-6/अ1.7-16/2003 1617

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक -12.7.04

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों को सी0बी0एस0ई0 नई, दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि कृष्णा सुदर्शन सेन्ट्रल स्कूल, ब सब खासमहल सी0सी0एल0बेरमो, बोकारो को इस शर्त्त पर कि तीन वर्षों के अन्दर इस विधालय में एक भी ऐसा शिक्षक नहीं रहे जिन्हें बी0एड0 की उपाधि प्राप्त नहीं हो, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

उपर्युक्त शर्त्तों के अतिरिक्त विभागीय नियमावली ज्ञापांक 1055 दिनांक 5. 9. 2001 में निहित निम्नांकित शर्त्तो एंव बन्धेजों का अनुपालन करना होगा ।:--

शर्त्तएंवबन्धेज
===========

1. विधालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एंव भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एंव ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जांचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये ।

Principal
Krishna Sudarshan Central School CCL